¹[Rule 34 : Rate of exchange of currency, other than Indian rupees, for determination of value

- (1) The rate of exchange for determination of value of taxable goods shall be the applicable rate of exchange as notified by the Board under section 14 of the Customs Act, 1962 for the date of time of supply of such goods in terms of section 12 of the Act.
- (2) The rate of exchange for determination of value of taxable services shall be the applicable rate of exchange determined as per the generally accepted accounting principles for the date of time of supply of such services in terms of section 13 of the Act.]

Rule 34 substituted by Noti. No. 17/2017–Central Tax, dt. 27-07-2017 w.e.f. 27-07-2017. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;Rule 34 : Rate of exchange of currency, other than Indian rupees, for determination of value

The rate of exchange for the determination of the value of taxable goods or services or both shall be the applicable reference rate for that currency as determined by the Reserve Bank of India on the date of time of supply in respect of such supply in terms of section 12 or, as the case may be, section 13 of the Act."

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

¹[नियम 34 : मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रूपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर

- (1) कराधेय माल के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 12 के निबंधनों में ऐसे मालों की पूर्ति के समय की तारीख के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित विनिमय की लागू दर होगी।
- (2) कराधेय सेवाओं के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 13 के निबंधनों में ऐसी सेवाओं की पूर्ति के समय की तारीख को साधारणतया स्वीकृति लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित लागू विनिमय दर होगी।

¹ अधिसूचना क्रमांक 17/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा नियम 34 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

[&]quot;नियम 34: मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रूपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर कराधेय माल या सेवा या दोनों के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर, अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 12 या धारा 13 के निबंधनानुसार ऐसी प्रदाय की बाबत् प्रदाय के समय की तारीख पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित उस मुद्रा के लिए लागू निर्देश दर होगी।"